"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी.ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 जनवरी, 2004—माघ 3, शक 1925

भाग 3 (1)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 5 जनवरी 2004

प्रारूप-चार
[नियम 5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) देखिए]

क्रमांक 1956/प्र. 1/अविअ/2003.—चूंकि मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी-सुदामा महावीर सेवा संस्थान ट्रस्ट, भिलाई नगर, तह. व जिला दुर्ग ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई न्यास पंजीयन के लिए आवेदन

किया है एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 9-2-2004 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो तो सूचना उसे लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं एस. आर. बांधे, पंजीयक, लोक न्यास दुर्ग अपने न्यायालय में दिनांक 9-2-2004 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापिता करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्त्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(1) लोक न्यास का नाम : सुदामा महावीर सेवा संस्थान ट्रस्ट भिलाई नगर.

(2) लोक न्यास की संपत्ति : निरंक

एस. आर. बांधे,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2004

क्रमांक 91/क/वा-1/अविअ./पंजी. 2004—चूंकि श्री छत्तीसगढ़ कैंसर केयर ट्रस्ट स्टोन क्लीनिक कचहरी चौक, रायपुर (छ. ग.) ने म. प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (27 जून 1951) कि धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन-पत्र दिया है.

अतएव सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र कि सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 29-1-2004 को होगी.

2. यदि किसी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वह इस सूचना के निकालने के एक माह के अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें. और पेशी के दिन स्वत: या अपने वकील अथवा एजेंट के द्वारा उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि समाप्त होने पर प्रस्तुत किए गए आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता तथा संपत्ति का विवरण)

श्री छत्तीसगढ़ कैंसर केयर ट्रस्ट स्टोन क्लीनिक कचहरी चौक, रायपुर छ. ग. ग्राम गोंदवारा तहसील रायपुर में (1) भूमि स्वामी हक की भूमि ख. नं. 147 का भाग रकबा 0.231 हे. जिसका अनुमानित लागत रुपये 3,00,000=00 (तीन लाख) रुपये मात्र (2) नगद राशि रु. 5,000=00 (पांच हजार) रु. जो कि लक्ष्मी महिला नागरिक बैंक रायपुर के खाता क्रमांक 5980 में जमा किया जा चुका है.

एम. डी. कावरे,
पंजीयक.

न्यायालय, लोक न्यास पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी, बलौदाबाजार, जिला रायपुर

बलौदाबाजार, दिनांक 6 अक्टूबर 2004

रा. प्र. क्र. 1 ब/113/वर्ष 2003-2004.—चूंकि डॉ. गीत राम पिता स्व. चुन्नी लाल पटेल, साकिन-पनगांव ने म. प्र. लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के तहत आवेदन-पत्र पेश अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के पंजीयन के लिए निवेदन किया है.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास की सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी या उनके हित रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित आपत्ति/दावा न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकते हैं.

उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा.

इस प्रकरण की सुनवाई मेरे न्यायालय में दिनांक 24-11-2003 को समय 10.30 बजे दिन को होगी

अनुसूची

1. लोक न्यास का नाम, पता : डॉ. गीत राम पटेल मुख्य प्रबंध ट्रस्टी, गायत्री परिवार ट्रस्ट, बलौदाबाजार
2. चल सम्पत्ति : चल सम्पत्ति का मूल्यांकन रु. 40,350/- किया गया है.
3. अचल सम्पत्ति

क्र.	वस्तु का नाम	मात्रा	कीमत	
			रुपये	पैसे
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	जमीन 0.032 हे.		4,00,000=00	

(1)	(2)		(3)	(4)
2.	गायत्री मंदिर	875 वर्गफीट		3,00,000=00
3.	साहित्य कक्ष	272 वर्गफीट	1	50,000=00
4.	परिव्राजक कक्ष	504 वर्गफीट	2	80,000=00
5.	यज्ञ शाला	400 वर्गफीट	1	80,000=00
6.	शौचालय	140 वर्गफीट	1	25,000=00
7.	रसोईघर	195 वर्गफीट	1	5,000=00
8.	आहाता दीवाल पूर्व दिशा	150 वर्गफीट दक्षिण दिशा 79"		50,000=00
9.	हेण्ड पम्प		1	20,000=00
10.	सजल-श्रद्धा-प्रखर प्रज्ञा	375 वर्गफीट		50,000=00
11.	गायत्री माता की मूर्ति		1	20,000=00
12.	संस्कार हाल	1800 वर्गफीट	1	3,00,000=00
			योग	13,80,000=00

आज दिनांक 6-10-2003 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

बलौदाबाजार, दिनांक 10 सितम्बर 2003

रा. प्र. क्र. 1 ब/113 वर्ष 98-99

क्रमांक 14/अ.वि.अ./वा-1/2003.—चूंकि श्री हिम्मत लाल वर्मा पिता श्री राम वर्मा सा-कौड़िया ने म. प्र. लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के तहत आवेदन-पत्र पेश अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के पंजीयन के लिए निवेदन किया है.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास की सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी या उनके हित रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित आपत्ति/दावा न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकते हैं.

उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा.

इस प्रकरण की सुनवाई मेरे न्यायालय में दिनांक 28-10-2003 को समय 10.30 बजे दिन को होगी.

अनुसूची

1.	लोक न्यास का नाम, पता	:	श्री हिम्मत लाल वर्मा प्रमुख ट्रस्टी वेदमाता गायत्री शक्तिपीठ पलारी.
2.	चल सम्पत्ति	:	चल सम्पत्ति का मूल्यांकन रु. 4,845/- किया गया है.
3.	अचल सम्पत्ति	:	ग्राम पलारी स्थित भूमि ख. नं. 1127/1, 1128, 1129 में से रकबा क्रमश: 0.091, 0.121, 0.030 कुल 0.242 हे. एक कमरा, एक कुआं एवं पक्का बाउन्ड्री दीवाल.

आज दिनांक 10-9-2003 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

एच. एल. नायक,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.